



बिहार में अवैध खनन

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार [परिवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) ने अपना ध्यान **बिहार में खनन माफिया** की ओर केंद्रित किया, जहाँ कथित तौर पर बड़े सडिकिट **अवैध रेत खनन** में शामिल हैं, जिससे **पर्यावरण को नुकसान** हो रहा है और राज्य के खज़ाने/एक्सचेंजर को भारी नुकसान हो रहा है।

मुख्य बंदि:

- पछिले आठ महीनों में ही ED ने यह साबति कर दिया है कि अवैध रेत खनन से बिहार सरकार को 400 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है।
- ED की जाँच के तहत पहला मामला **जनता दल-यूनाइटेड (JD-U) MLC राधा चरण साह** से संबंधित है, जिन्हें एजेंसी ने सितंबर 2023 में गरिफ्तार किया था।
 - दूसरा मामला एक कंपनी **आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड** और उसके नदिशक **जग नारायण सहि तथा सतीश कुमार सहि** से संबंधित है।
- इससे पहले ED पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अवैध रेत या कोयला खनन मामलों की जाँच कर चुकी है।

रेत खनन

- परचिय:**
 - रेत खनन को बाद के परसंस्करण के लिये मूल्यवान खनजिों, धातुओं, पत्थर, रेत और बजरी को नकालने के लिये प्राकृतिक पर्यावरण (स्थलीय, नदी, तटीय या समुद्री) से **प्राथमिक प्राकृतिक रेत तथा रेत संसाधनों** (खनजि रेत और समुच्चय) को हटाने के रूप में परभाषति किया गया है।
 - वभिन्न कारकों से प्रेरति यह गतविधिपारस्थितिकि तंत्र और समुदायों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।
- भारत में रेत खनन को रोकने की पहल:**
 - खान और खनजि वकिस तथा वनियमन अधनियम, 1957 (MMDR):**
 - खान और खनजि (वकिस और वनियमन) अधनियम, 1957 (MMDR अधनियम) के तहत रेत को "लघु खनजि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा लघु खनजिों पर प्रशासनिक नयित्रण राज्य सरकारों के अधीन है।
 - MMDR अधनियम, 1957 में संशोधन के लिये खान और खनजि (वकिस और वनियमन) संशोधन अधनियम, 2023 हाल ही में संसद द्वारा पारति किया गया था।
 - पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2006 (EIA):**
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी रेत खनन संग्रहण गतविधियों (5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में भी) के लिये अनुमोदन आवश्यक है।
 - सतत् रेत खनन प्रबंधन दशिा-नरिदेश, 2016 (SSMG):**
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी, इन दशिा-नरिदेशों के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण की दृष्टि से सतत् तथा सामाजिक रूप से ज़मिमेदारीपूर्ण खनन, पारस्थितिकि तंत्र की सुरक्षा व बहाली द्वारा नदी संतुलन एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण शामिल है।
 - रेत खनन हेतु परिवर्तन और नगिरानी दशिानरिदेश 2020:**
 - ये दशिा-नरिदेश पूरे भारत में रेत खनन की नगिरानी के लिये एक समान प्रोटोकॉल प्रदान करते हैं।

परिवर्तन नदिशालय (ED)

- परिवर्तन नदिशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और वदिशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
 - यह वतित मंत्रालय के राजस्व वभाग के अधीन कार्य करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वतिततीय जाँच एजेंसी के रूप में ED भारत के संवधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/illegal-mining-in-bihar>

